

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 20 / 23

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/12/25	<p>पत्तावली पेश की ^{उत्तर} पक्ष० अपिक्क द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सदमति लगाने की गयी। अतः उत्तर पक्ष० सदमति के पर उत्तर पक्ष० को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाक्य किया जाता है। पत्तावली T.I. को इल वाक्य के निस्तारण तक Confirm किया जाता है। पत्तावली फ़ैल शुभ्राट घेराट दफ्तर दायिनाये दर्ज नम्बर से नये</p>	